

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि०न० -47 / 2020

अनवान : -



1. महावीरसिंह पुत्र सुबेसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:-वादी

बनाम

1. सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कुलदीप सिंह पुत्र सुबेसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पत्नी सुबेसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वकील वादी

श्री सतवीर बैनीवाल वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 25/02/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 2/3 के मु०नं० 54 के किला नं० 14 ता 17, 24, 25 मु०नं० 55 के किला नं० 11, 19 ता 22, मु०नं० 69 के किला नं० 1 ता 2, 8 ता 13 कुल 4.807 है०, नहरी 4.6540 है०, गै० मु० खाला 0.075 है०, गै० मु० रास्ता 0.0780 है०, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल पटवार हल्का झांसल के खाता सं० 133/127 के मु० नं० 54 के किला नं० 16 की 0.2530 है०, गै० मु० खाला 0.0250 है०, मु० नं० 69 का किला नं० 8 सम्पूर्ण, किला नं० 9 की 0.1640 है०, किला नं० 10 की 0.1640 है०, गै० मु० रास्ता 0.009 है०, किला नं० 11 सम्पूर्ण, गै० मु० रास्ता 0.013 है०, किला नं० 12, 13 सम्पूर्ण, कुल 1.3400 है०, नहरी 1.3130 है०, गै० मु० रास्ता 0.0220 है०, कुल खसरा 7 की कुल क्षेत्रफल 1.5930 है०, नहरी 1.5460 है०, गै० मु० रास्ता 0.0220 है०, गै० मु० खाला 0.0250 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 जेजीडबल्यू के खाता सं० 261/250 के मु० नं० 47 के किला नं० 4/2 की 0.0760 है०, किला नं० 5, 6 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.025 है० रास्ता, किला नं० 15 सम्पूर्ण, गै० मु० रास्ता 0.0510 है०, कुल 0.8350 है०, नहरी 0.7340 है०, गै० मु० रास्ता 0.1010 है०, मु० नं० 65 के किला नं० 15, 16 सम्पूर्ण बारानी, मु० नं० 104 के किला नं० 9, 12, 19 ता 22 कुल 1.4420 है० बारानी, कुल क्षेत्रफल 2.7830 है०, नहरी 0.7340 है० बारानी 1.9480 है० गै० मु० रास्ता 0.1010 है० प्रतिवादी नं० 1 सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम से 2.024 है० खातेदारी दर्ज है। व चक 1 जेएसएल के खाता सं० 134/115 के मु० नं० 39 के किला नं० 10,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

11, 20 ता 24 कुल 1.7710है० नहरी, मु० न० 45 के किला न० 3/1 की 0.2400है०, किला न० 4, 7, 8, 13 कुल 1.2520है० कुल रकबा 3.0230है० नहरी में सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम 80 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति की आय से खरीद की हुई है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी न० 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 4 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी महावीरसिंह पुत्र सुबेसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक जेएसएल के खाता सं० 2/3 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी चक 1 जेएसएल खाता सं० 133/127 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी चक 1 जेएसएल के खाता सं० 134/115 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी चक 8 जेजीडब्ल्यू खाता सं० 261/250 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 2/3 के मु०नं० 54 के किला नं० 14 ता 17, 24, 25 मु०नं० 55 के किला नं० 11, 19 ता 22, मु०नं० 69 के किला नं० 1 ता 2, 8 ता 13 कुल 4.807है०, नहरी 4.6540है०, गै० मु० खाला 0.075है०, गै० मु० रास्ता 0.0780है०, इसी प्रकार चक 1 जेएसएल पटवार हल्का झांसल के खाता सं० 133/127 के मु० न० 54 के किला न० 16 की 0.2530है०, गै० मु० खाला 0.0250है०, मु० न० 69 का किला न० 8 सम्पूर्ण, किला न० 9 की 0.1640है०, किला न० 10 की 0.1640है०, गै० मु० रास्ता 0.009है०, किला न० 11 सम्पूर्ण, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 12, 13 सम्पूर्ण, कुल 1.3400है०, नहरी 1.3130है०, गै० मु० रास्ता 0.0220है०, कुल खसरा 7 की कुल क्षेत्रफल 1.5930है०, नहरी 1.5460है०, गै० मु० रास्ता 0.0220है०, गै० मु० खाला 0.0250है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 261/250 के मु० न० 47 के किला न० 4/2 की 0.0760है०, किला न० 5, 6 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.025है० रास्ता, किला न० 15 सम्पूर्ण, गै० मु० रास्ता 0.0510है० कुल 0.8350है०, नहरी 0.7340है०, गै० मु० रास्ता 0.1010है०, मु० न० 65 के किला न० 15, 16 सम्पूर्ण बारानी, मु० न० 104 के किला न० 9, 12, 19 ता 22 कुल 1.4420है० बारानी, कुल क्षेत्रफल 2.7830है०, नहरी 0.7340है० बारानी 1.9480है० गै० मु० रास्ता 0.1010है० प्रतिवादी न० 1 सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम से 2.024है० खातेदारी दर्ज है। व चक 1 जेएसएल के खाता सं० 134/115 के मु० न० 39 के किला न० 10, 11, 20 ता 24 कुल 1.7710है० नहरी, मु० न० 45 के किला न० 3/1 की 0.2400है०, किला न० 4, 7, 8, 13 कुल 1.2520है० कुल रकबा 3.0230है० नहरी में सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

80 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी अनुसार मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 1 जेएसएल पटवार हल्का झांसल के खाता सं० 133/127 के मु० न० 54 के किला न० 16 की 0.2530 है०, गै० मु० खाला 0.0250 है०, मु० न० 69 का किला न० 8 सम्पूर्ण, किला न० 9 की 0.1640 है०, किला न० 10 की 0.1640 है०, गै० मु० रास्ता 0.009 है०, किला न० 11 सम्पूर्ण, गै० मु० रास्ता 0.013 है०, किला न० 12, 13 सम्पूर्ण, कुल 1.3400 है०, नहरी 1.3130 है०, गै० मु० रास्ता 0.0220 है०, कुल खसरा 7 की कुल क्षेत्रफल 1.5930 है०, नहरी 1.5460 है०, गै० मु० रास्ता 0.0220 है०, गै० मु० खाला 0.0250 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 जेजीडबल्यू के खाता सं० 261/250 के मु० न० 47 के किला न० 4/2 की 0.0760 है०, किला न० 5, 6 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.025 है० रास्ता, किला न० 15 सम्पूर्ण, गै० मु० रास्ता 0.0510 है० कुल 0.8350 है०, नहरी 0.7340 है०, गै० मु० रास्ता 0.1010 है०, मु० न० 65 के किला न० 15, 16 सम्पूर्ण बारानी, मु० न० 104 के किला न० 9, 12, 19 ता 22 कुल 1.4420 है० बारानी, कुल क्षेत्रफल 2.7830 है०, नहरी 0.7340 है० बारानी 1.9480 है० गै० मु० रास्ता 0.1010 है० प्रतिवादी न० 1 सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम से 2.024 है० खातेदारी दर्ज है। व चक 1 जेएसएल के खाता सं० 134/115 के मु० न० 39 के किला न० 10, 11, 20 ता 24 कुल 1.7710 है० नहरी, मु० न० 45 के किला न० 3/1 की 0.2400 है०, किला न० 4, 7, 8, 13 कुल 1.2520 है० कुल रकबा 3.0230 है० नहरी में सुबेसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम 80 हिस्सा खातेदारी में से प्रतिवादी सं. 3 ने वादभूमि में से अपना हक व हिस्सा मुताबिक राजीनामा नहीं लिया है। इसी अनुसार वादभूमि रहनमुक्त होने पर उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश बारैठ)

उपखण्ड अधिकारी (R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ

